

माननीय न्यायमूर्ति ए.बी. चौधरी और कुलदीप सिंह के समक्ष

हरचंद सिंह-अपीलकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी

2016 का एलपीए नंबर 2137 अगस्त 01, 2018

भारत का संविधान, 1950- कला 226 और 227- पत्र पेटेंट- खण्ड X- 40% स्थायी विकलांगता- 1971 के युद्ध में खान विस्फोट में चोटें- एकल पीठ ने विकलांगता पेंशन, क्षमा विलंब और लाचारी, याचिका दायर करने से पूर्व 38 माह का बकाया प्रदान किया- खण्ड न्यायपीठ- कार्रवाई का आवर्ती कारण- बकाया प्रदान किया गया- कोई ब्याज नहीं।

माना जाता है कि हर महीने पेंशन का भुगतान करने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा आयोजित की गई कार्रवाई का कारण, कार्रवाई का एक आवर्ती कारण माना जाना चाहिए क्योंकि पेंशन का भुगतान बहुत महीने में करना नियोक्ता का कर्तव्य था, और इसलिए, केवल इसलिए कि कर्मचारी ने कई वर्षों तक इसकी मांग नहीं की, देरी के बारे में दलील लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और दावा करने में देरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है..... हालांकि, हम इकिटी को संतुलित करने के लिए और इस तथ्य को संतुलित करने के लिए कि अपीलकर्ता ने दावा करने के लिए लगभग 26 वर्षों तक इंतजार किया, इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा हमारे द्वारा रखी गई शेष राशि पर कोई ब्याज देने से इनकार कर देगा। हम समझते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम आक्षेपित निर्णय में उस सीमा तक हस्तक्षेप करें ताकि उस सैनिक के संबंध में न्याय के लक्ष्यों की रक्षा की जा सके जो ऊ्यूटी के दौरान बारूदी सुरंग में विस्फोट से घायल हो गया था और उसने अपना पैर खो दिया था।

(पैरा 10)

बलविंदर सिंह, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

विवेक सिंगला, अधिवक्ता, प्रतिवादी- भारत संघ के लिए।

माननीय न्यायमूर्ति ए.बी. चौधरी

2016 का सीएम नंबर 4435-एलपीए

1) सुना।

2) उसमें बताए गए कारणों के लिए आवेदन की अनुमति है। अपील दायर करने में 441 दिनों की देरी माफ की जाती है।

2016 की एलपीए संख्या 2137 (ओ एंड एम)

3) 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15993 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 09.07.2015 से व्यथित होकर, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने विकलांगता पेंशन की बकाया राशि को 3 साल और 2 महीने की अवधि तक सीमित कर दिया, यानी याचिका दायर करने की तारीख से 38 महीने पहले 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ, वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है।

4) अपीलकर्ता मूल रिट याचिकाकर्ता है जिसने रिट याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि वह 01.10.1968 को एक कांस्टेबल के रूप में सीमा सुरक्षा बल में शामिल हुआ था। 1971 के पाकिस्तान युद्ध के दौरान, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की इकाई को जम्मू-कश्मीर के तंगधार सेक्टर में तैनात किया गया था। ऑपरेशन 'कैक्टस लिली' के दौरान, अपने कंपनी कमांडर के आदेश पर, वह दुश्मन के क्षेत्र में खानों को साफ कर रहा था और ऐसा करते समय, 10.07.1972 को, वह बारूदी सुरंग विस्फोट में घायल हो गया। इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता को सैन्य अस्पताल, श्रीनगर और उसके बाद सैन्य अस्पताल, पठानकोट और फिर कमांड अस्पताल, पुणे ले जाया गया। कमान कार्यालय, पुणे के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें बैटल कैजुअल्टी घोषित किया और उनकी विकलांगता को 40% स्थायी विकलांगता के रूप में आंका गया और तदनुसार, उन्हें दिनांक 15.01.1974 (अनुबंध पी-1) का एक प्रमाण पत्र दिया गया। 05.02.1974 को मेडिकल बोर्ड ने निर्देश दिया कि उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाए और उसी तारीख से अमान्य चिकित्सा आधार पर छुट्टी दे दी जाए। तदनुसार, दिनांक 05.02.1974 (अनुलग्नक पी-2) का आदेश प्रतिवादी संख्या 4

के कमांडेंट द्वारा पारित किया गया था, जिसमें उसे आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता को 25.04.1974 को अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता को देय वेतन और भत्ते के रूप में 349.40 रुपये और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अप्रैल 1974 के वेतन और भत्ते के रूप में 184.40 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने अनुग्रह अनुदान के लिए आवेदन किया और उसे नागरिक सुरक्षा, डीसी लुधियाना, जिला पशुपालन अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 09.11.1976 को पत्र जारी करके बुलाया गया, जिसमें उसे 1,000 रुपये के अनुग्रह अनुदान के रूप में राशि मंजूर की गई थी। अपीलकर्ता से बीएसएफ कर्मियों के लिए पुनर्वास परियोजना-बनियान बनाने के विषय पर पत्राचार जारी रहा। अपीलकर्ता ने कमांडेंट, कमांड अस्पताल, चंडीगढ़ (यूटी) को विकलांगता पेंशन प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेजों के साथ पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 22.11.2006 (अनुलग्नक पी -23) का आवेदन भेजा और फिर, 28.12.2006 (अनुलग्नक पी -24) को अनुस्मारक भेजा। कार्यालय में दस्तावेजों का पता नहीं चलने के कारण पत्राचार जारी रहा। प्रतिवादी नंबर 4 ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि अपीलकर्ता चिकित्सा आधार पर यूनिट से सेवानिवृत्त हो गया था और उसका मामला बहुत पुराना था और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था और जलाकर नष्ट कर दिया गया था। अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने विकलांगता पेंशन और बैटल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 20.03.2010 (अनुलग्नक पी -37) को फिर से एक आवेदन प्रस्तुत किया क्योंकि वह 40% की स्थायी विकलांगता के साथ आर्मी मेडिकल बोर्ड द्वारा युद्ध हताहत था। उनके आवेदन का जवाब प्रतिवादी नंबर 4 ने दिया और कहा कि चूंकि रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए थे और यह जानना मुश्किल था कि उन्होंने 5-6 साल की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए एक जानकारी मांगी जा रही है। आवेदक/याचिकाकर्ता ने दिनांक 25-04-2010 को पुनः एक आवेदन प्रस्तुत किया (अनुबंध पी-39) कि वह खान विस्फोट में घायल हो गया था और उसे चिकित्सकीय रूप से बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने अपना पत्राचार जारी रखा और न्याय की मांग करते हुए दिनांक 18.05.2011 (अनुबंध पी-43) को नोटिस भी दिया। अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के पैरा 43 के माध्यम से यह भी प्रस्तुत किया कि उसका दावा आवर्ती प्रकृति का था, अर्थात् वह हर महीने विकलांगता पेंशन का हकदार था और इसका भुगतान नहीं किया गया था, कार्रवाई का कारण जारी रहा। उनके अनुसार, किसी भी दर पर उन्होंने कई वर्षों तक और कम से कम वर्ष 1982 तक और उसके बाद वर्ष 2006 से अपने दावे करने के लिए प्राधिकारियों के साथ पत्राचार किया था, लेकिन फिर, जहां तक पेंशन का संबंध है, प्राथमिक कर्तव्य और दायित्व प्रतिवादियों का था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई पुराना दावा किया था।

- 5) प्रतिवादियों ने रिट याचिका पर लिखित बयान दायर किया और विकलांगता पेंशन की मांग के लिए अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता की ओर से देरी और कुंडी के बारे में आपत्ति जताई। किसी भी दर पर, उत्तरदाताओं के अनुसार, उन्होंने 1982 से 2006 तक अपने दावे का पीछा नहीं किया और इसलिए, याचिका देरी और देरी के लिए खारिज कर दी जाने योग्य थी। गुण-दोष के आधार पर, यह बताया गया कि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता तंगधार क्षेत्र में एक अग्रिम चौकी पर गार्ड ड्यूटी पर था और ऑपरेशन 'कैक्टस लिली' में शामिल नहीं था। यह स्वीकार किया गया है कि उनके बाएं पैर में 10-07-1972 को खान में विस्फोट हो गया था और उपचार के बाद उन्हें विशेष बूट दिए गए थे और उनकी श्रेणी को 17-01-1974 को ईईई के रूप में अनुशंसित किया गया था और उन्हें 18-01-1974 को छुट्टी दे दी गई थी। 05.02.1974 को मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी स्थायी विकलांगता का प्रतिशत 20% आंका गया था। हालांकि, उनकी पेंशन केस फाइल नहीं मिली, शुरू में, यूनिट द्वारा बहुत प्रयासों के साथ यह पाया गया था। उन्होंने **पूर्व एनके मंजीत सिंह** के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया कि देरी और देरी से विकलांगता पेंशन देयता प्रभावित नहीं होगी। इस प्रकार, प्रतिवादियों ने रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।
- 6) इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की और निर्णय दिया, जिसे वर्तमान अपील में आक्षेपित किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियां करते हुए विलंब और कुंडी के संबंध में तर्कों को खारिज कर दिया -

"प्रतिवादी चोट के तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं, लेकिन वे केवल देरी के आधार पर याचिकाकर्ता को सूट नहीं करना चाहते हैं। यह एक ऐसा मामला है जहां कार्रवाई का कारण जारी है और देरी दावेदार के अधिकार को नष्ट नहीं कर सकती है। इन परिस्थितियों में, एक बार जब प्रतिवादियों ने स्वीकार कर लिया कि याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्य के दौरान चोट लगी है, तो 20% की स्थायी

विकलांगता का सामना करने के कारण विकलांगता पेंशन के लिए उसके दावे को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

- 7) इस प्रकार, देरी और कुंडी से संबंधित मुद्दे को बंद कर दिया गया है और हमें उसी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
- 8) विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब पाया कि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता कम से कम 20% स्थायी विकलांगता की सीमा तक विकलांगता पेंशन का हकदार था, जिसका आकलन उत्तरदाताओं द्वारा किया गया था। उस निष्कर्ष को उत्तरदाताओं द्वारा भी स्वीकार किया गया है। हालांकि, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता आदेश के निम्नलिखित भाग द्वारा पेंशन की बकाया राशि को प्रतिबंधित करने के लिए आक्षेपित निर्णय के आगे के हिस्से से व्यथित है: -

“याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही देरी के मद्देनजर, याचिका दायर करने की तारीख से तीन साल और दो महीने यानी 38 महीने पहले की अवधि तक सीमित होगी।”

- 9) हमें 38 महीने की अवधि को सीमित करने के लिए उपरोक्त निर्देश की वैधता तय करने के लिए कहा जाता है।
- 10) शुरुआत में, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विकलांगता पेंशन के लिए अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के अधिकार को पाया है, यह माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता उस दिन से उसी अधिकार का हकदार था। हर महीने पेंशन का भुगतान करने के मामलों में इस न्यायालय द्वारा आयोजित की गई कार्रवाई का कारण, हर महीने पेंशन का भुगतान करने के रूप में कार्रवाई का एक आवर्ती कारण माना जाना चाहिए, नियोक्ता का कर्तव्य था, और इसलिए, केवल इसलिए कि कर्मचारी ने कई वर्षों तक इसकी मांग नहीं की, दावा करने में देरी और कुंडी के बारे में दलील लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसी भी दर पर, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने विकलांगता पेंशन के संबंध में वर्तमान मामले के संबंध में देरी और देरी के बारे में तर्कों को खारिज कर दिया और इसलिए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर करने या दावा करने में देरी के कारण 38 महीने की अवधि के लिए बकाया को प्रतिबंधित करना, एक ही प्रश्न पर पहले की खोज के साथ असंगत है। जैसा कि हमारे द्वारा माना गया और उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता हर महीने पेंशन का हकदार था और इसलिए, पेंशन का दावा करने की उसकी याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य के मद्देनजर कि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया था, और इस तथ्य के मद्देनजर कि यह ट्राइट कानून है कि पेंशन एक 'इनाम' नहीं है, हम अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता को देय पेंशन की बकाया अवधि को 38 महीने की अवधि के लिए प्रतिबंधित करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हालांकि, हम इक्विटी को संतुलित करने के लिए और इस तथ्य को संतुलित करने के लिए कि अपीलकर्ता ने दावा करने के लिए लगभग 26 वर्षों तक इंतजार किया, इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा हमारे द्वारा रखी गई शेष राशि पर कोई ब्याज देने से इनकार कर देगा। हम समझते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम आक्षेपित निर्णय में उस सीमा तक हस्तक्षेप करें ताकि उस सैनिक के संबंध में न्याय के लक्ष्यों की रक्षा की जा सके जो ड्यूटी के दौरान बारूदी सुरंग में विस्फोट से घायल हो गया था और उसने अपना पैर खो दिया था। परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम बनाते हैं: -

आदेश

- i. 2016 के एलपीए नंबर 2137 की अनुमति है;
- ii. 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15993 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 09.07.2015 के आक्षेपित निर्णय, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के कारण स्थायी विकलांगता पेंशन के बकाया को प्रतिबंधित करने की सीमा तक, को अलग रखा जाता है; और यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी पूरी अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान करेंगे, जिसके लिए अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता बिना किसी ब्याज के हकदार होगा;
- iii. शेष बकाया राशि का भुगतान आज से 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा और उसके बाद, यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो वास्तविक शेष भुगतान किए जाने तक 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी